प्रेसनोट –
दिनांक- 10.09.2026
थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

नाबालिक लड़की के अपहरण के मामले में वांछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेशदत्त मिश्र के कुशल निर्देशन में थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 09.09.2026 को बिलौझा मार्ग पर नहर के पास से मु0अ0सं0- 116/2026 धारा 87 व 137(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) से संबंधित वांछित अभियुक्त जितेन्द्र राजभर पुत्र चमन उर्फ चन्द्रमा, निवासी: ग्राम हडरिका/हटिया, थाना बबुरी, जनपद चंदौली को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.जितेन्द्र राजभर पुत्र चमन उर्फ चन्द्रमा, निवासी: ग्राम हडरिका/हटिया, थाना बबुरी, जनपद चंदौली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1 मु0अ0सं0- 116/2026 धारा 87 व 137(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS)।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक – 09.09.2026

2.स्थान - बिलौझा मार्ग पर नहर के पास।

प्रेसनोट –
दिनांक- 10.09.2026
थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

पुरस्कार घोषित चोरी /नकबजनी के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.09.2026 को रेलवे स्टेशन के पास मुंशीपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते से मु0अ0सं0- 70/2026 धारा 331(4),305(अ),317(2),111(2)(ब) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित/ पुरस्कार घोषित अभियुक्त जिउत वर्मा उर्फ दिनेश पुत्र स्व0 जंगबहादुर विश्वकर्मा

निवासी हाल पता ग्राम सोहनपुर थाना बनकटा जनपद देवरिया, मूल पता ग्राम रगरगंज थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के काफी समय से फरार चलने के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी पर ₹15,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 70/2026 धारा 331(4), 305(अ), 317(2), 111(2)(ब) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1 जिउत वर्मा उर्फ दिनेश पुत्र स्व0 जंगबहादुर विश्वकर्मा निवासी हाल पता ग्राम सोहनपुर थाना बनकटा जनपद देवरिया, मूल पता ग्राम रगरगंज थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

आपराधिक इतिहास

1.मु.अ.सं. 70/2026 धारा 331(4),305(ए),317(2),111(2)(बी) बीएनएस थाना कोतवाली नगर मऊ।

2.मु.अ.सं. 54/26 धारा 331(4),305(ए),317(2),111(2)(बी) बीएनएस थाना कोपागंज, मऊ।

3.मु.अ.सं. 233/2025 धारा 111(2)(बी),305(ए),317(2),317(4),331(4)बीएनएस थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

4.मु.अ.सं. 57/2026 धारा 111(2)(बी),305(ए),317(2),317(4),331(4)बीएनएस थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

5.मु.अ.सं. 134/2024 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।

6.मु.अ.सं. 136/2024 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 10.09.2026

2.स्थान- रेलवे स्टेशन के पास मुंशीपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते से थाना कोतवाली क्षेत्र मऊ।

पुरस्कार घोषित की धनराशि

1.मु0- 15 हजार रूपया।

प्रेसनोट –
दिनांक- 10.09.2026
थाना घोसी जनपद मऊ।

सामुहिक दुष्कर्म, धमकी व अश्लील तस्वीर वायरल करने के मामले में वांछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 09.09.2026 को मु0अ0सं0- 349/2026 धारा 3(5), 127(2), 308(2),

351(2), 64(1), 64(2)(m), 70(1), 77 बी.एन.एस. व 66-E, 67 आई.टी एक्ट से संबंधित एसआर वांछित अभियुक्त राजू गुप्ता पुत्र सुभाषचन्र गुप्ता निवासी ग्राम गोसन्देपुर, थाना करण्डा जनपद गाजीपुर वतगमान पता ROOM NO- 489 आदर्श इन्दिरा नगर, नवघर रोड, गणेश गली नं0 -9, भयन्दर पूर्व, थाणे, महाराष्ट्र को जहांगीर स्टेट थाना काशीमीरा जिला मीरा भाईदर वसई विरार महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर दिनांक- 10.09.2026 को थाना घोसी जनपद मऊ लाया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. राजू गुप्ता पुत्र सुभाषचन्द गुप्ता निवासी ग्राम गोसन्देपुर, थाना करण्डा जनपद गाजीपुर वतगमान पता रूम नं0- 489 आदर्श इन्दिरा नगर, नवघर रोड, गणेश गली नं0 -9, भयन्दर पूर्व, थाणे, महाराष्ट्र।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 349/2026 धारा 3(5), 127(2), 308(2), 351(2), 64(1), 64(2)(m), 70(1), 77 बी.एन.एस. व 66-E, 67 आई.टी एक्ट।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक – 09.09.2026
2.स्थान - जहांगीर स्टेट थाना काशीमीरा जिला मीरा भाईदर वसई विरार महाराष्ट्र।

प्रेसनोट –
दिनांक- 10.09.2026
थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ।

थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से गुम/खोये हुए कुल 13 अदद स्मार्ट मल्टीमीडिया मोबाइल फोन कीमत लगभग- 3,08,000/- रूपया को बरामद कर वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद गोहना साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.09.2026 को गुम/ खोये हुए 13 अदद स्मार्ट मल्टीमीडिया मोबाइल फोन (रेडमी कम्पनी की 04 , सैमसंग कम्पनी की 02 , वीवो कम्पनी की 02 ,रियलमी की 02 ,ओप्पो कम्पनी -02, i-tel कम्पनी की- 01 मोबाइल) कुल कीमत- 3,08,000/- (तीन लाख आठ हजार रूपया) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से उसके मालिक को तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

***विवरण*-** CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल पर प्राप्त विभिन्न शिकायतों के आधार पर थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस की साइबर टीम द्वारा तकनीकी माध्यम से गुमशुदा मोबाइल फोनों की लगातार निगरानी एवं खोजबीन की गयी। पुलिस टीम के अथक प्रयास से कुल 13 अदद गुमशुदा स्मार्ट मल्टीमीडिया मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कुल कीमत करीब 3,08,000/- रुपये है, बरामद किये गये। बरामद किये गये मोबाइल फोन के सम्बन्ध में आवश्यक सत्यापन एवं विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त उनके वास्तविक स्वामियों की पहचान कर उपस्थित आये स्वामियों को उनके मोबाइल फोन सुपुर्द किये गये। अपना गुम मोबाइल फोन वापस पाकर मोबाइल स्वामियों द्वारा थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस एवं साइबर टीम की कार्यवाही की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

प्रेसनोट –
दिनांक- 10.09.2026
जनपद मऊ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 10.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण-

1.थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वसूली वारंटी अभियुक्त जफरूद्दीन पुत्र इस्तेयाक अहमद निवासी ग्राम बासा कुर्थीजाफरपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ।

2.थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शकील उर्फ बबलू पुत्र वकील अहमद निवासी ग्राम पठानटोला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

प्रेसनोट –
दिनांक- 10.09.2026
जनपद मऊ ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 09.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 38 टीम गठित कर जनपद के 38 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1326 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 525 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 01 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

प्रेसनोट –
दिनांक- 10.09.2026
जनपद मऊ ।

 # ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियुक्त द्वारा बच्चे को जहर देकर मृत्यु कारित करने वाला 01 अभियुक्त को अजीवन कारावास की सजा व 12,000/- रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित। ।

पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मु0अ0सं0 169/2012 धारा 302,328 भादवि0 थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 10.09.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा बच्चे को जहर देकर मृत्यु कारित करने वाला शरीफुल हसन पुत्र फकरुल हसन निवासी पूरा ख्वाजा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को आजीवन कारावास की सजा का दंड व 12000 रुपए का अर्थदंड से दण्डित किया गया।

प्रेसनोट –
दिनांक- 10.09.2026

थाना सरायलखंसी जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि-10,000/- (दस हजार रूपया) पीडित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखंसी साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 10.09.2026 को मोबाइल हैक कर यूपीआई के माध्यम से पीड़ित /आवेदक राकेश कुमार गौतम पुत्र रामाश्रय गौतम, निवासी रमगडवां खेतलपुर, थाना चौबुपर जनपद वाराणसी, हालपता- पुलिस लाइन थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के खाते से फ्राड की गयी कुल धनराशि-10,000/- (दस हजार रूपया) MRM PORTAL के माध्यम से थाना सरायलखंसी साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें । साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।